

बिहार सरकार,
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना एवं
शिविर मंडल कारा फुलवारीशरीफ, पटना।

पटना, दिनांक-12-01-2017

विषय:- मुख्य शीर्ष 2056-जेल (गैर योजना), उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0001-राज्य के कारा पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण, विपत्र कोड-एन02056000030001 कूट संख्या 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ, मांग संख्या-22 के तहत कारा पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी हेतु ₹5,000 (पाँच हजार रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि0 दिनांक-31.03.2016, पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016, ज्ञाप संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना के पत्रांक-11270 दिनांक-17.12.2016 तथा अधीक्षक, शिविर मंडल कारा फुलवारीशरीफ, पटना के पत्रांक-1506 दिनांक-06.09.2016 द्वारा प्राप्त अध्यायना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (कारा पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण) मद में निम्नवत राशि का आवंटन स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०	कारा का नाम	कूट संख्या एवं मद का नाम	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना	28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	3000	3000	तीन हजार रुपये मात्र
2	शिविर मंडल कारा फुलवारीशरीफ, पटना		2000	2000	दो हजार रुपये मात्र
कुल योग			5000	5000	पाँच हजार रुपये मात्र।

पाँच हजार रुपये मात्र।

2. आवंटित राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056-जेल (गैर योजना), उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0001-राज्य के कारा पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के तहत होगा। इससे संबंधित विपत्र कोड संख्या एन0-2056000030001 कूट संख्या/मांग संख्या-22 का उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय, अन्यथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

संजय कुमार
सहायक

मौ. जमानुद्दीन अंसारी,
सुपुकार

21/01/17
उप निदेशक (बजट एवं ले.)

3. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही एवं विचलन के लिये आप स्वयं जिम्मेवार है।

4. आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय एवं एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

संजय बिहार, पटना।

मौ. जमालुद्दीन अंसारी 21/11/17

ज्ञापांक-कारा/बजट(मु0)-04-02/2016-86

पटना, दिनांक-12-01-2017

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

संजय बिहार, पटना।

मौ. जमालुद्दीन अंसारी 21/11/17

ज्ञापांक-कारा/बजट(मु0)-04-02/2016-86

पटना, दिनांक-12-01-2017

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

संजय बिहार, पटना।

मौ. जमालुद्दीन अंसारी 21/11/17

ज्ञापांक-कारा/बजट(मु0)-04-02/2016-86

पटना, दिनांक-12-01-2017

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

संजय बिहार, पटना।

मौ. जमालुद्दीन अंसारी 21/11/17

ज्ञापांक-कारा/बजट(मु0)-04-02/2016-86

पटना, दिनांक-12-01-2017

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

संजय बिहार, पटना।

संजय कुमार
सहायक

मौ. जमालुद्दीन अंसारी
प्र. पदाय

21/11/17
34 मिडियाक (कट एवं लटक)